उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-4/2017-एस0ई0-4-700/दस-2017-ई0एम0-1(10)/87
लखनऊ : दिनांक : 09 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एस0ई0-4-3681/दस-88-ई0एम0-1(10)/87, दिनांक 11-07-1988 द्वारा सृजित वरिष्ठ अनुसेवकों के निम्नलिखित दो अस्थाई पदों, जिनके कार्यकाल की निरन्तरता अन्तिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7/2016-एस0ई0-4-821/दस-2016-ई0एम0-1(10)/87, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक बढ़ाई गई थी, को दिनांक 01 मार्च, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक, यदि इससे पूर्व ही इन्हें बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाये, बढ़ाये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में)
1	**2**	**3**	**4**
1	वरिष्ठ अनुसेवक	दो	वेतन बैण्ड-3 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन 1800 (यथा संशोधित)

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो उन्हें अनुमन्य हों, देय होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

ओम प्रकाश द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या-4/2017-एस0ई0-4-700(1)/दस-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार(लेखा प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा) दो प्रतियों में।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग।
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त परीक्षण प्रकोष्ठ।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in